उत्तरांचल विधान सभा

उत्तरांचल विधान सभा की कार्यसूची

बुधवार फाल्गुन 29, शक संवत्, 1923

(दिनांक : 20 मार्च, 2002)

समय : 11:00 बजे पूर्वाहन्

1. प्रश्नोत्तर (नत्थी–**क**)
2. कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (उत्तरांचल संशोधन) (प्रथम संशोधन) अध्यादेश, 2001 को सदन के पटल पर रखेंगे।
3. मुख्य मंत्री देव संस्कृति विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2002 को सदन के पटल पर रखेंगे।
4. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरूद्धीकरण व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों।
5. विशेषाधिकार के प्रश्न, यदि कोई हों।
6. कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (उत्तरांचल संशोधन) (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2002 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगेंगे।
7. कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (उत्तरांचल संशोधन) (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2002 को पुरःस्थापित करेंगे।
8. मुख्य मंत्री देव संस्कृति विश्वविद्यालय विधेयक, 2002 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगेंगे।
9. मुख्य मंत्री देव संस्कृति विश्वविद्यालय विधेयक, 2002 को पुरःस्थापित करेंगे।
10. उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रकिया तथा कार्यसंचालन नियमावली, 1958 के नियम–315 के खण्ड (23) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणाऐं, यदि कोई हों।
    (कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिशों के लिए देखिए नत्थी **(ख)**)
11. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।
12. कार्यस्थगन का प्रस्ताव यदि कोई हो।

13. श्री दिनेश अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी:—

"यह सदन श्री राज्यपाल को उनके द्वारा दिनांक 18 मार्च, 2002 को दिये गए अभिभाषण के लिए कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है"

(प्रस्ताव में संशोधनों के लिए देखिए नत्थी **(ग)**)

14. वित्तीय वर्ष 2001—2002 के अनुपूरक अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान :—

(1) मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या—06, राजस्व एवं सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत रू0 238713 हजार (तेइस करोड़ सत्तासी लाख तेरह हजार) रूपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001—2002 के लिए स्वीकार की जाय।

(2) मुख्य मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या—07, वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें के अन्तर्गत रू0 3242 हजार (बत्तीस लाख बयालीस हजार) रूपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001—2002 के लिए स्वीकार की जाय।

(3) मुख्य मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या—10, पुलिस एवं जेल विभाग के अन्तर्गत रू0 97046 हजार (नौ करोड़ सत्तर लाख छियालीस हजार) रूपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001—2002 के लिए स्वीकार की जाय।

(4) शिक्षा मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या—11, शिक्षा, खेल, युवा कल्याण एवं संस्कृति विभाग के अन्तर्गत रू0 675138 हजार (सड़सठ करोड़ इक्यावन लाख अड़तीस हजार) रूपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001—2002 के लिए स्वीकार की जाय।

(5) चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या—12, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत रू0 7683 हजार (छियत्तर लाख तिरासी हजार) रूपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001—2002 के लिए स्वीकार की जाय।

(6) मुख्य मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या—13, जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास विभाग के अन्तर्गत रू0 100000 हजार (दस करोड़) रूपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001—2002 के लिए स्वीकार की जाय।

(7) समाज कल्याण मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या—15, कल्याण योजनाऐं विभाग के अन्तर्गत रू0 17432 हजार (एक करोड़ चौहत्तर लाख बत्तीस हजार) रूपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001—2002 के लिए स्वीकार की जाय।

(8) कृषि मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या–17, कृषिकर्म एवं अनुसंधान विभाग के अन्तर्गत रू0 50079 हजार (पाँच करोड़ उन्यासी हजार) रूपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाय।

(9) ग्राम्य विकास मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या–19, ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत रू0 3400 हजार (चौंतीस लाख) रूपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाय।

(10) सिंचाई मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या–20, सिंचाई एवं बाढ़ विभाग के अन्तर्गत रू0 2 हजार (दो हजार) रूपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाय।

(11) पर्यटन एवं लोक निर्माण मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या–22, लोक निर्माण कार्य विभाग के अन्तर्गत रू0 146746 हजार (चौदह करोड़ सड़सठ लाख छियालीस हजार) रूपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाय।

(12) उद्योग मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या–23, उद्योग विभाग के अन्तर्गत रू0 4 हजार (चार हजार) रूपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाय।

(13) वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या–27, वन विभाग के अन्तर्गत रू0 2300 हजार (तेइस लाख) रूपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाय।

(14) सहकारिता एवं पशुपालन मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि अनुदान संख्या–28, पशुपालन सम्बंधी कार्य विभाग के अन्तर्गत रू0 1600 हजार (सोलह लाख) रूपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाय।

15. मुख्य मंत्री उत्तरांचल विनियोग (2001–2002 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2002 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगेगे।

16. मुख्य मंत्री उत्तरांचल विनियोग (2001–2002 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2002 को पुरःस्थापित करेंगे।

17. मुख्य मंत्री यह प्रस्ताव करेगे कि उत्तरांचल विनियोग (2001–2002 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2002 पर विचार किया जाय।

18. मुख्य मंत्री यह प्रस्ताव करेगे कि उत्तरांचल विनियोग (2001–2002 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2002 पारित किया जाय।

19. मुख्य मंत्री यह प्रस्ताव करेगे कि उत्तरांचल विनियोग (लेखा अनुदान) विधेयक, 2002 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

20. मुख्य मंत्री उत्तरांचल विनियोग (लेखा अनुदान) विधेयक, 2002 को पुरःस्थापित करेंगे।

21. मुख्य मंत्री यह प्रस्ताव करेगे कि उत्तरांचल विनियोग (लेखा अनुदान) विधेयक, 2002 पर विचार किया जाय।

22. मुख्य मंत्री यह प्रस्ताव करेंगे कि उत्तरांचल विनियोग(लेखा अनुदान) विधेयक, 2002 पारित किया जाय।

23. नियम–51 के अन्तर्गत सूचनायें, यदि कोई हों।

देहरादून।
दिनांक : 20 मार्च, 2002

आज्ञा से,

(महेश चन्द्र)
सचिव।

उत्तरांचल विधान सभा

प्रथम सत्र, 2002
का प्रथम बुधवार

उत्तरांचल विधान सभा
की कार्यसूची

बुधवार फाल्गुन 29,शक संवत्, 1923

(दिनांक : 20 मार्च, 2002)

नत्थी (क)

–: तारांकित प्रश्न :–

श्री मातबर सिंह कण्डारी
28–02–2002

* 1. क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को बी.पी.एल. राशन कार्ड प्रत्येक जनपद के प्रत्येक ब्लाक में बन चुके हैं ? यदि नहीं, तो कितने ऐसे परिवार है जिनके बी.पी.एल. राशन कार्ड अभी तक नहीं बने हैं ? ऐसे परिवारो के बी.पी.एल राशन कार्ड कब तक जारी कर दिये जायेगें ?

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति

उत्तरांचल विधान सभा

नत्थी (ख)

कार्यमंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 19 मार्च, 2002 की बैठक में दिनांक 20 मार्च, 2002 से 22 मार्च, 2002 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की हैः—

मार्च, 2002

20, बुधवार	(1)	औपचारिक कार्य।
		(क) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादक मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (उत्तरांचल संशोधन) (प्रथम संशोधन) अध्यादेश, 2001 का प्रस्तुतिकरण।
		(ख) देव संस्कृति विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2002 का प्रस्तुतिकरण।
	(2)	धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा।
	(3)	(क) वित्तीय वर्ष 2001–2002 हेतु द्वितीय अनुपूरक अनुदान पर विचार, चर्चा एवं पारण।
		(ख) उत्तरांचल विनियोग (2001–2002 का अनुपूरक) विधेयक, 2002 का पुरःस्थापन, विचार एवं पारण।
		(ग) वित्तीय वर्ष 2002–2003 के एक भाग के लिए लेखानुदान का पारण।
		(घ) उत्तरांचल विनियोग (2001–2002 का अनुपूरक) विधेयक, 2002 का पुरःस्थापन, चर्चा एवं पारण।
21, गुरूवार	(1)	धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा।
	(2)	विधायी कार्य।
		(क) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादक मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (उत्तरांचल संशोधन) (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2001 पर विचार एवं पारण। (15 मिनट)
		(ख) देव संस्कृति विश्वविद्यालय विधेयक, 2002 पर विचार एवं पारण। (15 मिनट)
22, शुक्रवार	(1)	धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा एवं मतदान।
	(2)	असरकारी दिवस।(आधा दिन)

उत्तरांचल विधान सभा

नत्थी (ग)

श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन

क.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
1.	श्री भगत सिंह कोश्यारी, श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, श्री गोविन्द लाल श्री मदन कौशिक, श्री बिशन सिंह चुफाल, श्री मालचन्द्र, श्री सुरेश चन्द्र, श्री प्रकाश पन्त, श्री मातबर सिंह कण्डारी, श्रीमती विजय बडथ्वाल, श्री महेन्द्र भट्ट, श्री अनिल नौटियाल, श्रीमती आशा नौटियाल, श्री अरविन्द पाण्डे, श्री हरबन्स कपूर श्री अजय भट्ट (उपस्थित किया जा चुका है)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जायः– "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्न का उल्लेख नहीं किया" :– 1. राज्य की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था में सुधार लाने हेतु किसी विशेष प्रभावी उपाय की घोषणा किये जाने, 2. आर्थिक व्यवस्था में सुधार लाने हेतु किसी प्रभावी योजना की घोषणा किये जाने, 3. राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों, विभिन्न निगमों के कर्मचारियों तथा राज्य में सेवारत सरकारी तथा गैर सरकारी कर्मचारियों का पंचम वेतन आयेग की संस्तुति के अनुसार केंन्द्र के समान वेतन दिये जाने और एल0टी0सी0 नगदीकरण इत्यादि सुविधायें प्रदसान किये जाने, 4. राज्य को ऊर्जा प्रदेश बनाने हेतु पूर्व में घोषित योजनाओं के कियान्वयन तथा प्रभावी नीति बनाने, 5. उद्योग, पर्यटन, रोजगार, शिक्षा के क्षेत्र में पूर्व में घोषित परियोजनाओं के कियान्वयन करने, 6. राजस्व पुलिस की सेवा शर्तों में सुधार करने तथा उन्हें अधिक सुविधा व अधिकार देकर दुरस्थ ग्रामीण अंचल में कानून व्यवस्था ठीक करने, 7. प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में माननीय विधायकों को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 50 कि0मी0 नवीन मोटर मार्ग निर्माण, 20 कि0मी0 डामलीकरण, 5 झूलापुल, 5 नवीन इण्टरमीडिएट, 5 नवीन हाई स्कूल, 5 स्वास्थय उपकेन्द्रों की स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार दिये जाने, 8. राज्य में चिकित्सा व्यवस्था सुधार हेतु पृथक चिकित्सा नीति बनाये जाने,

क.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
9.		स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत फार्मासिस्टों की लम्बे समय से चली आ रही समस्याओं के निराकरण किये जाने,
10.		प्रदेश में प्रशिक्षित फार्मासिस्टों, बी0एड0, बी0पी0एड0, सी0पी0एड0, डिप्लोमा इन्जिनियरों तथा अन्य प्रशिक्षित तथा उच्च शिक्षा प्राप्त बेरोजगारों को सेवायोजन हेतु प्रभावी कदम उठाने,
11.		प्रदेश के समस्त बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिये जाने,
12.		प्रदेश की सभी बन्द पड़ी फैक्ट्री तथा जनपद पिथौरागढ़ की चंढाक मैग्नासाइट व तड़ी गांव (पिथौरागढ़) मैग्नासाइट फैक्ट्री काशीपुर की सूत कताई मिल सरस्वती ऊलन मिल रानीखेत (अल्मोड़ा) इत्यादि को पुनः संचालित किये जाने हेतु प्रभावी योजना बनाये जाने,
13.		साधन समिति सचिव, संग्रह, अमीनों तथा वर्षों से विभिन्न यथा–लो0नि0वि0 राज्य सम्पत्ति अधिकारी कार्यालय, वन विभाग तथा निगमों में कार्यरत दैनिक व संविदा आधारित कर्मचारियों को नियमित करने तथा उन्हें राज्य कर्मचारियों घोषित करने,
14.		नवसृजित 13 महाविद्यालयों में प्रधानाचार्य, प्रवक्ता तथा अन्य शिक्षणोत्तर सामग्री उपलब्ध कराने,
15.		प्राथमिक विद्यालयों, माध्यमिक विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में प्रधानाचार्यों, प्रवक्ता, अध्यापकों के रिक्त पड़े पदों को भरे जाने,
16.		सभी न्याय पंचायत केन्द्रों में मिनी खेल स्टेडियम तथा जिला मुख्यालयों में आधुनिक रूप से सुसज्जित खेल स्टेडियमों की स्थापना कराने,
17.		प्रदेश में स्थापित हवाई पट्टियों को सुदृण करने तथा वायुसेवा प्रारम्भ करने,
18.		आपदा प्रबन्धन विभाग को सुव्यवस्थित कर दैवीय आपदाओं से निपटने हेतु विशेष कार्ययोजना बनाये जाने,
19.		महिला सशक्तीकरण हेतु विशेष कार्य योजना,
20.		वार्षिक योजना 1500 करोड़ करने के संबंध में।
21.		व्यय कम करने हेतु मंत्रिमण्डल के आकार को घटाने,
22.		विकल्पधारी कर्मचारियों को नियत अवधि में कार्यमुक्त करने,
23.		प्रत्येक विकास खण्ड में उच्चतर मा0वि0 एवं कन्या इण्टर कालेज बनाने,

क.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		24. हरिद्वार कोटद्वार रामनगर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने,
		25. टिहरी बांध विस्थापितों के लिए पिछली सरकार द्वारा केन्द्र से प्राप्त भूमि को तुरन्त विकसित कर विस्थापितों का पुनर्वास के संबंध में।
		26. उत्तर प्रदेश सरकार से गंगा मैनेजमेन्ट केन्द्र की जगह उभय पक्षी बोर्ड बनाने,
		27. ड्रिलिंग द्वारा प्रत्येक जनपद में 500 हैण्डपम्प लगाने,
		28. शिक्षा बन्धु, शिक्षा मित्र व विजिटिंग फैकल्टी के अध्यापकों को नियमित करने,
		29. उधमसिंह नगर व हरिद्वार में नये अनाज भण्डार गृह खोलने के संबंध में,
		30. चीनी मिलों को आत्म निर्भर बनाने के लिए को–जेनेरेशन योजना शुरू करने,
		31. पर्यटन विकास के लिए कोटद्वार, पौड़ी, दूधातोली–पिंडर तथा रानीखेत, नैनीताल, मानीला, कौसानी, ग्वालदम, चौकड़ी–पाताल भुवनेश्वर, मुनस्यारी, पिथौरागढ़, पूर्णागिरी परिपथ विकसित करने,
		32. गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन देने,
		33. होम–गार्ड के वेतन में प्रतिदिन 50/– रू0 की वृद्धि करने के संबंध में।
2.	श्री काशी सिंह ऐरी (उपस्थित किया जा चुका है)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जायः– "किन्तु मुझे खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्न का उल्लेख नहीं किया है" :–
		1. स्थायी राजधानी का चयन एवं उसका निर्माण।
		2. उत्तर प्रदेश के विकल्पधारी कर्मचारी एवं शिक्षकों को अविलम्ब कार्यमुक्त कर उत्तर प्रदेश भेजे जाने तथा उनकी जगह पर शिक्षित–प्रशिक्षित बेरोजगारों को नियुक्त किये जाने।
		3. प्रदेश की सामाजिक सांस्कृतिक एवं आर्थिक संरचना अक्षुण रखने एवं राष्ट्रीय सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए संविधान के अनुच्छेद–371 के अन्तर्गत विशेष प्राविधान किये जाने के संबंध में केन्द्र सरकार का संस्तुति।
		4. उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान रामपुर तिराहा (मु0नगर) कांड के दोषी अधिकारियों को दंडित किये जाने के संबंध में।

—4

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		5. उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के शहीदों के परिजनों को विशेष सहायता व सम्मान दिये जाने।
		6. उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के सभी मुकद्दमों को वापस लिये जाने।
		7. उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के घायलों/पीडितों व प्रमुख आन्दोलनकारियों को विशेष मुआवजा व सम्मान दिये जाने।
		8. उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के शहीदों एवं राज्य आन्दोलन के सर्वमान्य नेता स्व0 इन्द्र मणि बडोनी की प्रतिमायें स्थापित करने।
		9. शहीद सैनिको /अर्द्धसैनिकों के परिजनों को राज्य स्तर पर नौकरी एवं अन्य रोजगार/सुविधायें दिये जाने।
		10. सेना में भर्ती के लिए वर्तमान में छः सीमान्त तहसीलों में लागू कक्षा 8 पास की अर्हरता सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में अथवा कम से कम सीमान्त के तीनों जनपदों में लागू किये जाने।
		11. प्रदेश के विभिन्न शासकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों एवं विद्यालय में कार्यरत शिक्षा बन्धु, शिक्षा मित्र विजिटिंग फैकल्टी, अंशकालिक, दैनिक एवं नियमित वेतनमान अस्थायी शिक्षकों को तदर्थ/नियमित नियुक्ति प्रदान किये जाने।
		12. प्रदेश के विभिन्न विभागों में दैनिक वेतन, नियत वेतन एवं तदर्थ रूप से नियुक्त सभी कर्मचारियों को नियमित किये जाने।
		13. फलोत्पादक बीमा योजना।
		14. बिन्दुखत्ता, दमुवादुँगा, बग्धाचौवन, उत्तरकाशी जनपद के धरासू बैण्ड सहित सभी वन भूमि पर बसे गांवों को राजस्व गांव घोषित करने।
		15. प्रदेश के दूरस्थ स्थानों में प्राथमिक उपस्वास्थ्य केन्द्र (एस0ए0डी0) पर्याप्त संख्या में खोले जाने।
		16- जनपद पिथौरागढ़ की धारचूला एवं मुनस्यारी तहसीलों, टिहरी जनपद एवं उत्तरकाशी जनपद के रवाई एवं जौनपुर क्षेत्रों को जनजातीय क्षेत्र घोषित किये जाने।
3.	श्री मातबर सिंह कण्डारी (उपस्थित किया जा चुका है)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जायः– "किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित को सम्मिलित नही किया है :–
		1. बड़गस्यूँ पश्चिमी भरदार, रानीगढ़, धनपुर तथा तल्ला नागपुर के लिए रूद्रप्रयाग में अलग विकास खण्ड खोलना।

—5

क.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
2.		जनपद रूद्रप्रयाग में इंजिनियरिंग कालेज खोलना।
3.		जनपद रूद्रप्रयाग में मालटा का जूस निकालने का कारखाना लगाना।
4.		जखोली में पूर्ण तहसील बनाना।
5.		उत्तरांचल में मद्य निषेध लागू करना।
6.		उत्तरांचल में फल पट्टी योजना को बनाना।
7.		भारतीय वन संरक्षण अधिनियम को विकास कार्यों के लिए लचीला बनाना।
8.		चिरबटिया में राजकीय आलू फार्म खोलना।
9.		उत्तरांचल के आर्थिक विकास हेतु व्यवसायिक खेती, बेमौसमी सब्जी उत्पादन फल पट्टी योजना, मतस्य पालन योजनाओं पर बल देना।
10.		बेरोजगारी को दूर करने हेतु रोजगार परक योजनाओं को चलाना।
11.		महिला कल्याण कार्यक्रम पर बल देना।
12.		उत्तरांचल में बन्द पड़ी योजनाओं पर पुनर्निर्माण शुरू कराना।
13.		बेसिक पाठशाला से लेकर महाविद्यालयों में अध्यापको के रिक्त पदों पर भर्ती करना।
14.		लिफ्ट सिंचाई योजना धारकोट तल्ला नागपुर का निर्माण कार्य पूर्ण कराना।
15.		लिफ्ट पेयजल योजना जवाडी कांडा क्वीलाखाल भरदार, भैंसगांव, तल्लानागपुर नगलासूँ (रानीगढ़) का निर्माण कराना।
16.		सतनी (सौराखाल) भरदार, बुडोली (सिलगढ़) आरस्यूँ बछरगस्यूँ ढौडिक तल्ला नागपुर में जनता को पेयजल की सुविधा देना।
17.		खाकरा कान्डई खेड़ाखाल मोटर मार्ग नगरासू जसोली डांडा मोटर मार्ग, मयाली रणधार मोटर मार्ग, तिलवाड़ा सौराखाल मोटर मार्ग का डामरीकरण कराना।
18.		लस्यूँ नदी में मठियाणा (सिलगढ़) अलकनन्दा नदी में पपजसूँ मन्दाकनी नदी में अगस्त्य मुनि तथा धूयेली नामक स्थानों में झूलापुल निर्माण करने।
19.		तुनेटा भरदार में चीड़ की पत्तियों पर आधारित कोयला तथा गत्ता उद्योग लगाना।
20.		तिलवाडा जल विद्युत परियोजना विकास खण्ड जखोली, रूद्रप्रयाग जो वर्षों से बन्द पड़ी है उसे चालू करने।

क.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
20.		जनपद रूद्रप्रयाग में अधिशासी अधिकारी विद्युत वितरण खण्ड का पद स्वीकृत है की नियुक्ति कराने।
21.		जनपद रूद्रप्रयाग में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा, उप वन संरक्षक जिला उद्यान अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी के पदों का सृजन कराने।
22.		विकास खण्ड जखोली, रूद्रप्रयाग के भवन निर्माण हेतु धन उपलब्ध कराने।
23.		पट्टी बछरगस्यूँ जसोली कोदिमा (लदोली) रानीगढ़ पूर्वी बांगढ़, खलियान बांगड़ बडमा सिलगढ़ लस्या (रूद्रप्रयाग) में चाय की खेती शुरू करने।
24.		त्यूखर चिरबटिया (लस्या) खलियान बांगर पूर्वी बांगर बछरगस्यूँ (सिलापाखा)धनपुर (पावौं भुनका) कोदिमा जसोली (रानीगढ़) में जड़ी बूटियों की नरसरी तथा जड़ी बूटियों का कृषि करण करने।
25.		तुनेटा भरदार तथा घंगासू बांगर रूद्रप्रयाग में मछलीपालन केन्द्र खोलना तथा हैचरी का निर्माण करने।
26.		गहड़खाल (बछरगस्यूँ) खेड़ीखाल (धनपुर) हेड़तीखाल तल्ला नागपुर तुनेटा (भरदार) जसोली रानीगढ़ में ऐलोपैथिक अस्पताल खोलने।
27.		अमकोटी–त्यूखर लस्या किमारगा फुटगढ़ कुड़ी अपूली (फुटगढ़) चौरिया भरदा, डौखाल (रौठिया) में आयुर्वेदिक अस्पताल खोलने।
28.		रा0उ0मा0वि0 पांजणा (सिलगढ़) रूद्रप्रयाग रा0उ0मा0वि0 त्यूखर लस्या रा0उ0मा0वि0 चौरिया भरदार रा0उ0मा0वि0 जयंती कौठियाडा लस्या रा0उ0मा0वि0 बरसूडी बछणस्यूँ रा0उ0मा0वि0 ठैंठी बछणस्यूँ रा0उ0मा0वि0 पीडा धनपुर रूद्रप्रयाग का उच्चीकरण करने।
29.		जू0हा0 लौंगा लस्या, जू0हा0 कोटी लस्या, जू0हा0 बरसिर लस्या, जू0हा0 पौडीखाल बछणस्यूँ, जू0हा0 हडेटीखाल तल्ला नागपुर, जू0हा0 बीना (रानीगढ़) जू0हा0 तूना धनपुर जू0हा0 कमेड़ा तल्ला नागपुर का उच्चीकरण करने।
30.		तिलवाडा रूद्रप्रयाग में महिला चिकित्सालय खोलने।
31.		नगरासू, रतूड़ा तिलणी (सुमेरपुर) में राजकीय कृषि फार्म खोलने।

क.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		32. भटवाडी सैण तल्ला नागपुर में स्वीकृत उद्योग केन्द्र को विकसित करने।
		33. द्योलतीर (रानीगढ़) सिद्धसौड़ (बड़मा), चौरिया भरदार, किमाना फुटगढ़ में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा खोलने।
		34. सुदूर पिछड़े क्षेत्र रतूडा खेडीखाल भुनका रूद्रप्रयाग चिनग्वाड़ पावौं सेरा वाँसी, जवाडी भरदार मोटर मार्गों का निर्माण करना।
4.	श्री बिशन सिंह चुफाल (उपस्थित किया जा चुका है)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण में निम्न का उल्लेख नहीं किया हैं" :–
		1. पिथौरागढ़ में बेरीनाग पुरानाथल तथा डीडीहाट आदिचौरा तथा नाचनी बांसवाड़ा मोटर मार्ग डामरीकरण के सम्बन्ध में।
		2. पिथौरागढ़ में भुजगढ़ नदी में सिरमाली के पास तथा नामिक नदी में झूला पुल के सम्बन्ध में।
		3. पिथौरागढ़ राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पुरानाथल तथा जूनियर हाईस्कूल होकरा के उच्चीकरण के सम्बन्ध में।
		4. पिथौरागढ़ थल में महाविद्यालय खोलने,
		5. पिथौरागढ़ में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भट्टी गांव तथा राजकीय कन्या इण्टर कालेज डीडीहाट के भवन के संबंध में।
		6. पिथौरागढ़ में पर्यटक स्थल सिराकोट के सौन्दर्यकरण के संबंध में।
		7. पिथौरागढ़ में उडियारी तथा चौसला–लेक पेयजल के संबंध में।
		8. सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ में सामुदायिक पॉलीटैक्नीक के संबंध में।
		9. पिथौरागढ़ में हवाई पट्टी के विस्तार के संबंध में।
		10. पिथौरागढ़ में पुराना थलतडी गांव मोटर मार्ग में राम गंगा नदी में मोटर पुल के संबंध में ।
		11. पिथौरागढ़ डीडीहाट में मिनी स्टेडियम के संबंध में
		12. पिथौरागढ़ में सगौड़ से बौगाड़ तक सड़क निर्माण के संबंध में।

क.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
13.		जनपद पिथौरागढ़ में निम्न मोटर मार्गों के निर्माण के संबंध में – – रई–मढ़–रोडीपाली मोटर मार्ग –सुवालेख–चण्डिकाघाट–रेसपसटा मोटरमार्ग –छेड़ा कुम्याचौड़ –सुवालेख मोटरमार्ग –चण्डाक–व्यूपानी–डूंगरा मोटर मार्ग निर्माण –मोस्टमानू–छाना–भुरमुनी मोटर मार्ग –नैनी–सैनी–कुम्डार मोटरमार्ग –दिग्तोली–नैनी–दूयूडी मोटरमार्ग –बडंडा–लेलू मोटर मार्ग –चुपकोट बैंड–जमराडी–निसनी मोटर मार्ग –हरकान्डे–सल्ला मोटर मार्ग –जाख रावल गांव–मेलढगरी मोटरमार्ग –अशोक नगर–भाटीगांव मोटर मार्ग –बड़ाबै–धारी–बेलतडी मोटर मार्ग –विषाण–मासौ मोटर मार्ग –चण्डाक–पौण्ड–पपदेव–सुकोली मोटर मार्ग –सुकोली–टकारा–टकारी–ऐंचोली मोटर मार्ग –ननी सैनी–कनारी–पाभैं–देवत मोटर मार्ग –उर्ग–घुन्सेरा गांव–मढ़ मोटर मार्ग –मढ़ तडीगांव पुनेडी मोटर मार्ग।
14.		जनपद पिथौरागढ़ में निम्न मोटर मार्गों के डामरीकरण के संबंध में। –चन्डाक–ब्रांस मोटर मार्ग –वांस–आंवला घाट मोटर मार्ग। –मोस्टमानू–छेड़ा–दिगतोली मोटर मार्ग। –वड्डा–अडकिनी–क्वीतड़ मोटर मार्ग। –कुसेटी–सिलोनी मोटर मार्ग।
15.		जनपद पिथौरागढ़ में रा.उ0मा0वि0 रोडीपाली के उच्चीकरण के संबंध में।
16.		जनपद पिथौरागढ़ में नैनी–सैनी, चमाली, खतीगांव, निसनी में नये हाईस्कूल खोले जाने के संबंध में।
17.		पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय में विर्थी–फाल (मुनस्यारी) या अन्य किसी गुरूत्वीय पेयजल स्रोत से पेयजल योजना निर्माण के संबंध में।
18.		जनपद पिथौरागढ़ मुख्यालय डीडीहाट (पिथौरागढ़) एवं छावनी परिषद में रानीखेत (अल्मोड़ा) में सीवर लाइन निर्माण के संबंध में ।
19.		पिथौरागढ़ में पर्यटन आकर्षण केन्द्र के रूप में रई व थरकोट में कृत्रिम झील के निर्माण के संबंध में।

क.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
5.	श्री हरभजन सिंह चीमा (उपस्थित किया जा चुका है)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जायः— "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्न का उल्लेख नहीं किया" :— 1. उत्तरांचल में निकट भविष्य में होने वाले ग्राम सभाओं व निकायों के चुनाव से पूर्व ग्राम सभाओं व निकायों का पुनर्गठन कराये जाने। 2. पिछले 30—35 वर्षों से अधिक समय से किसानों की जोत में चली आ रही वर्ग—4 की भूमिका नियमितिकरण किये जाने, 3. विधान सभा क्षेत्र जसपुर व काशीपुर में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाये गए जलाशयों (डामों) से उठाये गए किसानों को बदले में दी गई अराजी के संबंधित किसानों के नाम बनाये गए पट्टों को तहसील रिकार्ड में अंकित कराये जाने के, 4. पिछले 40 वर्षों से मैदानी क्षेत्रों के गांवों में चल रहे प्राइमरी स्कूलों का उच्चीकरण कर कम से कम जू0 हा0 स्कूल का दर्जा दिये जाने, 5. विधान सभा क्षेत्र जसपुर काशीपुर की सरकारी क्षेत्र की लम्बे समय से बन्द पड़ी सूत मिलों को चलाये जाने के संबंध में।
6.	श्री अजय भट्ट (उपस्थित किया जा चुका है)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जायः— "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्न का उल्लेख नहीं किया" :— 1. पिथौरागढ़ में पुराना थल—तड़ीगांव मोटर मार्ग में रामगंगा नदी में मोटर पुल के संबंध में। 2. पिथौरागढ़, डीडीहाट में मिनी स्टेडियम के निर्माण, 3. पिथौरागढ़ में सगौड़ से बौगाड़ तक सड़क निर्माण, 4. पिथौरागढ़ में पर्यटन आकर्षण केन्द्र के रूप में मेंरई व थरकोट में कृत्रिम झील के निर्माण, 5. पिथौरागढ़ में पूर्व प्रस्तावित बहुउद्देशीय पार्क (अप्पूघर) के निर्माण किये जाने, 6. पिथौरागढ़ मुख्यालय में खेल विद्यालय की स्थापना किये जाने, 7. गंगोलीहाट (पिथौरागढ़) में धार्मिक महत्व के पौराणिक मंदिरों व विभिन्न प्राकृतिक गुफाओं को देखते हुए सम्पूर्ण क्षेत्र को धार्मिक क्षेत्र घोषित किये जाने,

क.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		8. पिथौरागढ़ में जनसंख्या दबाव को देखते हुए प्रस्तावित रिंग रोड की स्थापना,
		9. रानीखेत क्षेत्र में रानीखेत से चौबाटिया में रज्जूमार्ग, भालूडैम एवं धोबीगधेरे में कृत्रिम झील के निर्माण,
		10. रानीखेत में पूर्व से लम्बित स्टेडियम निर्माण,
		11. गगास चिनियानोला, कोशीशेंर, कोसी, बिल्लेख पंपिंग पेयजल योजना के निर्माण,
		12. नागरिक चिकित्सालय को कम्बाइण्ड चिकित्सालय का दर्जा दिये जाने के तथा हृदय रोग, नाक कान एवं नेत्र विभाग खोले जाने,
		13. छावनी परिषद, रानीखेत को नगर पालिका एवं रानीखेत को जिला तथा मजखाली, जालली, मछोड एवं मासी को विकास खण्ड घोषित करने,
		14. उ0प्र0 रा0 सड़क परिवहन निगम कार्यशाला को बाजार से हटाकर पूर्व स्वीकृत स्थान ताडीखेत में निर्माण करवाये जाने,
		15. जनसंख्या के दबाव को देखते हुए रानीखेत में एक बालिका इण्टर कालेज खोलने,
		16. सब्जी उत्पादक क्षेत्रों को देखते हुए चौबटिया, बमस्यूँ, भूजान, खैरना, पोखरी, काकडीघाट, बलियाली, लोधियाखान बिल्लेख एवं सौला सिल्लौर महादेव तथा ताडीखेत पीपली, काकडीघाट, मज्यूरखान, शीतला,ोत, बेड़गांव, नैनीजाना जैसी, रानीखेत एरोड़ जैसी सड़कों के निर्माण के संबंध में।
7.	श्री मदन कौशिक (उपस्थित किया जा चुका है)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय। किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :—
		1. उत्तरांचल को शेष परिसम्पत्तियों में हिस्सेदारी तथा अधिकारों को दिलाने के लिए किसी नीति की घोषणा तथा समय–समय पर सीमा निश्चित करनें,
		2. उत्तरांचल में बेरोजगारी के समाधान के लिए स्पष्ट रोजगार नीति बनाये जाने,
		3. पर्यटन उद्योग के विकास के लिए स्पष्ट नीति तैयार कर स्वरोजगार उपलब्ध कराने,
		4. हरिद्वार के पास राजाजी नेश्नल पार्क में रेल द्वारा व बिजली के करन्ट से लगातार मर रहे हाथियों की सुरक्षा,
		5. भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के संबंध में स्पष्ट नीति,

क.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
6.		पूर्व माध्यमिक विद्यालयों, माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान सूची में लिये जाने,
7.		प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति को सुधारने हेतु किसी योजना का उल्लेख नहीं किये जाने,
8.		हरिद्वार नगर में शराबबन्दी प्रभावी रूप से लागू हो इसके संबंध में कार्य योजना बनाने,
9.		हरिद्वार विधान सभा में कन्या डिग्री कालेज खोलने,
10.		प्रदेश में हिन्दी विषय की डिग्री स्तर तक के लिए शिक्षा मुफ्त दिये जाने,
11.		हरिद्वार में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना,
12.		हरिद्वार में 2004 में लगने वाले कुम्भ के बारे में स्थाई निर्माण की योजना,
13.		हरिद्वार में गंगा की पूर्णतः प्रदूषण मुक्त करने,
14.		हरिद्वार में उच्च न्यायालय की खण्डपीठ की स्थापना,
15.		हरिद्वार में श्रमायुक्त कार्यालय की स्थापना,
16.		हरिद्वार में हवाई पट्टी का विस्तार कर विमान सेवा प्रारम्भ किये जाने,
17.		हरिद्वार में विशेष पौराणिक महत्व वाले क्षेत्र–सतीकुन्ज, सतीघाट, मायादेवी मंदिर दक्ष प्रजापति मंदिर, बिल्केश्वर मंदिर आदि को विकसित किये जाने,
18.		हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर, चण्छी देवी मंदिर पैदल मार्ग पर टीन–शैड की व्यवस्था करने,
19.		कनखल शमशान घाट पर विद्युत शव गृह के निर्माण,
20.		हरिद्वार के जिला चिकित्सालय की खस्ता हालत सुधारने,
21.		बरसात के मौसम में हरिद्वार के समस्त बाजार एवं अधिकांश मौहल्लों में पानी की निकासी,
22.		हरिद्वार में अंतर्राज्जीय बस स्टेशन की स्थापना,
23.		हरद्विार नगर में सिटी बस की व्यवस्था करने,
24.		हरिद्वार नगरी में धर्मशालाओं को गृहकर, जलकर से पूर्णतः मुक्त किये जान,
25.		हरिद्वार में हर की पैड़ी क्षेत्र को भिखारियों से पूर्णतः मुक्त करने,
26.		हरिद्वार में मेडिकल कालेज खोलने,
27.		हरिद्वार को एक औद्योगिक जिला घोषित किये जाने,
28.		राज्य में गौ रक्षा आयोग के गठन।

क.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
8.	श्री अरविन्द पाण्डे (उपस्थित किया जा चुका है)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया" :– 1. बाजपुर विधान सभा क्षेत्र में वर्ग 4 की भूमि की समस्या समाधान, 2. बाजपुर क्षेत्र में नदियों द्वारा किये जा रहे कटान से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। 3. किसानों को फसल का सही मूल्य भुगतान के संबंध में। 4. किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान के संबंध में। 5. बाजपुर क्षेत्र में स्थित चीनी मिल के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित करने के संबंध में। 6. समस्त चीनी मिलों में मृतक आश्रितों को सेवा योजित करने के संबंध में। 7. समस्त चीनी मिलों के कर्मचारियों को पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार वेतन दिये जाने के संबंध में। 8. बाजपुर को पूर्ण तहसिल का दर्जा दिये जाने के संबंध में। 9. केलाखेड़ा (उधमसिंह नगर) में स्थित इण्टर कालेज की भूमि पर किये गये अवैध कब्जे को हटाये जाने के संबंध में।
9.	श्री महेन्द्र भट्ट (उपस्थित किया जा चुका है)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है" :– 1. जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट में तहसील की स्थापना, 2. जनपद चमोली के अनेको विद्यालयों के उच्चीकरण, 3. जनपद चमोली के पोखरी विकास खण्ड के उड़ामाड़ा सेमलासु मोटरमार्ग निर्माण, 4. जनपद चमोली विकास खण्ड घाट के काण्डेय पगना मार्ग निर्माण, 5. जनपद चमोली में प्रत्येक बारह वर्षो में होने वाली पौराणिक नन्दा देवी राजात को सरकारी अनुदान, 6. जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट में राज्य परिवहन निगम सेवा प्रारम्भ करने, 7. जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट में राजकीय महाविद्यालय की स्वीकृति, 8. उत्तरांचल में भविष्य में होने वाली हाईस्कूल एवं माध्यमिक शिक्षा की परीक्षा हेतु अलग परीक्षा बोर्ड के गठन,

क.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		9. जनपद चमोली के धार्मिक एवं दार्शनिक स्थल रूप कुण्ड, वैराज कुण्ड कार्तिक स्वामी में यात्रा हेतु सुगम मार्ग निर्माण,
10.	श्री मालचन्द्र (उपस्थित किया जा चुका है)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्न को सम्मिलित नहीं किया" :–
		1. सीमान्त जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मौरी के गंगाड क्षेत्र/पुरौला के सुनाली डेरीका के बाढ़ में खेतों का कटाव रोकने के लिए सुरक्षा दीवाल, पुल एवं सड़कों, नगदी फसलों का मुआवजा हेतु ठोस नीति बनाने,
		2. नगदी फसलों का काश्तकारों को उचित मूल्य दिलाने व नजदीकी मण्डी सुविधा के संबंध में।
		3. हिमाचल की तर्ज पर काश्तकारों को नगदी फसल के लिए शासन द्वारा उचित मूल्य देने हेतु समिति का गठन।
		4. पर्वतीय क्षेत्रों में जनसंख्या तथा शिष्यों के मानक में छूट देने हेतु स्कूलों का चयन,
		5. वन्य जीव गोविन्द पशु विहार हेतु क्षेत्र के समस्त विकास कार्यों में रूकावट हटाने के लिये कोई ठोस नीति बनाने,
		6. जूनियर हाईस्कूल/हाईस्कूल/कन्या जूनियर हाईस्कूलों के उच्चीकरण हेतु पर्वतीय क्षेत्रों में निर्धारित मानक की छूट,
11.	श्री अनिल नौटियाल (उपस्थित किया जा चुका है)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है" :–
		1. वर्तमान में कार्यरत समस्त शिक्षा बनधुओं को उनके कार्यरत पदों पर ही नियमित किये जाने,
		2. जनपद चमोली के गैरसैण में डिग्रीकालेज में पद सृजन एवं भवन निर्माण,
		3. कर्णप्रयाग डिग्री कालेज हेतु भवनों की व्यवस्था एवं विज्ञान संकाय खोलने,
		4. गोचर में डाइट (राज्य शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थान) भवन निर्माण,
		5. कर्णप्रयाग विधान सभा के दूरस्थ क्षेत्रों में सड़कों एवं पुलों के निर्माण,
		6. गढ़वाल विश्वविद्यालय में बी0एड0 प्रवेश परीक्षा शुल्क को कम करने,
		7. गौचर में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना,

क.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		8. प्राथमिक विद्यालयों में बी0एड0 प्रशिक्षितों की वर्षवार नियुक्ति,
		9. राजकीय इण्टरकालेज महलचौरी, रोहिडा, उज्जवलपुर, सिदोली के भवन निर्माण,
		10. राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित श्री नन्दा देवी राजजात का आयोजन,
		11. कालेश्वर (चमोली) को ट्रान्सपोर्ट नगर घोषित करने,
		12. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के उच्चीकरण एवं नये स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना,
		13. चमोली जनपद में चाँदपुर गढ़ी नाम से नये विकास खण्ड निर्माण,
12.	श्री गोविन्द लाल (उपस्थित किया जा चुका है)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नही किया है" :–
		1– नारायणबगड़ में हास्पिटल का उच्चीकरण,
		2– चमोली में विद्यालयों का उच्चीकरण,
		3– पिण्डर विधान सभा में सड़को एवं पुलों का नव निर्माण,
		4– देवाल में हास्पिटल के उच्चीकरण,
13.	श्रीमती आशा नौटियाल (उपस्थित किया जा चुका है)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नही किया है :–
		1– जनपद रूद्रप्रयाग क्षेत्र केदारनाथ में वर्ष 98 एवं 2000 मे आये विनाशकारी भूकम्प एवं भूस्खलन से पीड़ित लागो के पुर्नवास एवं गृह अनुदान,
		2– जनपद रूद्रप्रयाग क्षेत्र केदारनाथ के तहसील ऊठीमठ विद्यापीठ में महाविद्यालय खोलने,
		3– महिलायों के उत्थान एवं विकास के लिये कोई ठोस नीति बनाने एवं कृषि नीति में परिवर्तन कर व्यवसायिक खेती करने,
		4– जनपद रूद्रप्रयाग विकास खण्ड अगस्तमुनि में तल्ला नागपुर पेयजल योजना के संबन्ध में।
		5– जनपद रूद्रप्रयाग क्षेत्र केदारनाथ में अपार तीर्थाटन केदारनाथ, तुगनाथ, मध्यमहेश्वर एवं कार्तिक स्वामी अगस्तमुनि पर्यटन क्षेत्र, देवरियाताल, चोपता, दुगलमिट्टा, खाम मनेरी क्षेत्रो के विकास के संबन्ध में।
		6– नवगठित जनपद रूद्रप्रयाग का एकीकरण करने,
		7– जनपद रूद्रप्रयाग क्षेत्र केदारनाथ में बालिकाओं के लिये व्यवसायिक शिक्षण संस्थान एवं बालिका हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट कालेज खोलने,

क.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
14.	श्रीमती विजय बड़थ्वाल (उपस्थित किया जा चुका है)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नही किया है" :– 1– महिलाओं के आर्थिक विकास के लिये ठोस योजनायें बनाने के लिये महिला उत्थान एवं कल्याण निगम के गठन, 2– यमकेश्वर विधान सभाक्षेत्र को मुख्य दो सड़को के लक्ष्मणझूला से विथाणी एवं चैलेसैण से घट्टूगाढ तक डामरीकरण, 3– उत्तरांचल की आबकारी नीति में महिलाओं की सहमति एवं विचार लेने, 4– जनपद पौड़ी में रा0इ0का0 एवं माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता एवं प्रधानाचार्यो के रिक्त पदों को भरने, 5– जनपद पौड़ी में कृषि योग्य भूमि के लिये सिंचाई के साधनो के विस्तारीकरण , 6– यमकेश्वर विधान सभा क्षेत्र के महाबगढ़, भैरवगढ़ी, नीलकंठ यमकेशवर को तीर्थाटन, पर्यटन के लिये विकसित करने, 7– यमकेश्वर विधान सभा क्षेत्र में बालिका व्यवसायिक शिक्षा विद्यालय एवं बालिका हाईस्कूल एवं इण्टर कालेज खोलने, 8– नये राज्य उत्तरांचल में नई शिक्षा नीति निर्धारित करने, 9– यमकेश्वर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत कण्व आश्रम पोखरी पौखाल मोटर मार्ग निर्माण, 10– यमकेष्वर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विकास क्षेत्र द्वारीखाल के सिलोगी, कठूडबड़ा पम्पिंग योजना से पेयजल उपलब्ध कराने,
15.	श्री चन्द्रशेखर (उपस्थित किया जा चुका है)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया":– 1. बिहारी गढ़ से सड़कों एवं पुलियां रोशनाबाद तक पहुँचाने, 2. डान्डा रांघडवाला में प्राईमरी स्कूल को बनवाने, 3. डान्डा जलालपुर में बिजली घर बनाने, 4. भूमि संरक्षण द्वारा भूमि को एकसार कराने, 5. ग्रामीण क्षेत्र जहाँ पर कक्षा 8वीं तक के स्कूल भी नहीं है वहाँ पर स्कूल बनवाने, 6. हरिपुर ग्राम व उसके आस–पास के गाँवों में बिजली की व्यवस्था करने, 7. पंजाब एवं हरियाणा की तरह ही भट्टा उद्योग पर उत्तरांचल में भी सेल्स कम किये जाने, 8. स्कूलों की समस्यायें (1) 8वीं कक्षा तक के स्कूलों को कक्षा 10वीं तक किये जाने।

——16

क.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		(2) 10वीं कक्षा तक के स्कूलों को कक्षा 12वीं तक किये जाने।
		(3) भगवानपुर विधान सभा में असिंचीत भूमि पर निःशुल्क बोरिंग एवं पेयजल हेतु नल कूपों की व्यवस्था किये जाने,
		9. भगपानपुर क्षेत्र में बाढ़ एवं सूखे के निराकरण हेतु पुलो, सड़कों एवं जलापूर्ति जैसी जटिल समस्याओं के समाधान,
16.	श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत (उपस्थित किया जा चुका है)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :— "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नही किया है" :—
		1— उत्तरांचल राज्य निर्माण के दौरान घायलों के संबन्ध में।
		2— डोईवाला में महाविद्यालय भवन निर्माण एवं शिक्षकों की व्यवस्था के संबन्ध में।
		3— मोथरोवाला—दूधली—डोईवाला मोटर मार्ग के निर्माण में आ रही बाधाओं के संबन्ध में।
		4— डोईवाला विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत रायपुर नथुवावाला—नकरौंदा मोटर मार्ग के सुदृढ़ीकरण एव पक्कीकरण के संबन्ध में।
		5— नकरौंदा—लच्छीवाला—डोईवाला, मोटर मार्ग के संबन्ध में।
		6— डोईवाला विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत राजाजी नेशनल से लगे कृषकों की कृषि की जगंली जानवरों से सुरक्षा के संबन्ध में।
		7— शिक्षक अभिभावक संगठना (पी.टी.ए.) के अन्तर्गत नियुक्ति के सम्बन्ध में
		8— मार्खम— ग्रान्ट न्याय पंचायत में पशु चिकित्सालय खोलने के सम्बन्ध में।
17.	श्री सुरेश चन्द (उपस्थित किया जा चुका है)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :— "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नही किया है" :—
		1— हरिद्वार से रूड़की होते हुए मु0 नगर तक सीधी रेलवे लाईन की व्यवस्था के संबन्ध में।
		2— रूड़की विधान सभा क्षेत्र जो उत्तरांचल का प्रवेश द्वार है, के चहुँमुखी विकास के सम्बन्ध में।
		3— कुंभ नगरी हरिद्वार को चारों ओर से विभिन्न प्रदेशों एवं नगरों से जोडने वाले मार्गो को अविलम्ब चार लेन करने के सबन्ध में।

क.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
1.	श्री निजामुद्दीन	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जायः— "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है।" 1. दिन प्रतिदिन बढ़ती आबादी की रोक थाम। 2. उर्दू एकेडमी की स्थापना। 3. जिन जिलों में उर्दू बोलने वालों की अच्छी संख्या है वहां उर्दू भाषा को दूसरी भाषा का दर्जा देना। 4. दिन प्रतिदिन बढ़ते भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकना। 5. टोंगिया किसानों की वन भूमि पर आबादकारी। 6. पोलीथीन पर पूरी तरह पाबन्दी लगाना।
2.	श्री बलबीर सिंह नेगी	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जायः— "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है।" 1. विश्व प्रसिद्ध सतलिंग ग्लेशियर, सहस्त्रताल क्यार्की बगियाण—पंवाली कोठा—कुश कल्याण—महासत्रताल, माणिकनाथ, विश्वनाथ, जम दी शिला, हटकुणी व भजियाड़ ताल के पर्यटन विकास, 2. हुलाना खाल, चमियाला में और भौखाल में अलग विकास खण्ड खोलना, 3. भौखाल में डिग्री कालेज खोलना, 4. धमातोड़ी—अखोड़ी अपर केभर, मिलंग में फल पट्टी योजना लागू कर बनाना, 5. अपर केभर, बूढ़ाकेदार, धमातोली, पाख ग्राम में ऐलोपैथिक हस्पताल बनाना, 6. उत्तरांचल में उत्तरांचल राज्य निर्माण निगम का गठन करना, 7. लिफ्ट सिंचाई योजना (देवढ) पश्चिमी मिलंग, पियोला, बणचूरी में स्थापित करना, 8. घनसाली, कोटी—अखोड़ी—धमातोली—पंवली मो0 मार्ग, घुनसाली घुतु मोटर मार्ग, घनसाली—बिनकखाल, मूलगढ़—थार्ती ठेला जण्डसेखाल मो0 मार्ग लाटा—नागेश्वर—सौड़ मो0 मार्गों का डामरीकरण करना, 9. पदोखा—बालगंगा नदी पर दोणी मिलंगना नदी पर कोटी अंगुड़ा, चन्दियाल बाल गंगा पर बौर—सेन्दुल मिलंगना पर झूला पुलों का निर्माण करवाया जाय, 10. कोटी—धर्मगंगा पर बनोली गोनेढ़ कोट बालगंगा पर लघु जल विद्युत परियोजना, श्री कोट चनियाला लघु जल विद्युत योजना,

——18

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		11. नागराजाधार इण्टरकालेज किरंथ, बूढ़ाकेदार इण्टर कालेज, पौखाल इण्टर कालेज पड़ागली हा0 स्कूल भवन, जाख जू0हा0 भवन निर्माण, नौल बासर इण्टर कालेज भवन, कोट विशन हा0 स्कूल, अगूण्डा हाई स्कूल भवन निर्माण करवाना, 12. बणचूरी जू0हा0 स्कूल उच्चीकरण पड़ागली हाई स्कूल का उच्चीकरण कोट विशन हा0 स्कूल का उच्चीकरण लगांव जू0हा0 स्कूल का उच्चीकरण, कठैती जू0हा0 का उच्चीकरण, 13. गेंवाली, गेंगी, पिनस्वाड़ में आयुर्वेदिक अस्पताल खोलना, 14. भिगुन से पंगेठी मोटर मार्ग देनट से सौड़ मोटर मार्ग निर्माण की स्वीकृति प्रदान करें, 15. छटनीशुदा वन निगम कर्मचारियों जनगणना कर्मचारियों, लोक निर्माण विभाग घनसाली के कोटी अखोड़ी मार्ग के छटनीशुदा श्रमिकों को समायोजित करना, 16. अशासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय सिंगलासू, बागसेस अम्बेश्वरी वि0 धमातोली, सौड़ हिन्दाव आलीधार पू0मा0वि0, कनकपाल जू0हा0, शहीद दलवीर सिंह राणा स्मृति जू0हा0 ठेला को वित्तीय मान्यता प्रदान कराना।
3.	श्री नारायण पाल	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जायः— "किन्तु मुझे खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्न का उल्लेख नहीं किया।" 1. बंगाली समाज, थारू, बुक्शा आदि झुग्गी में रहने वाले व्यक्तियों के लिए आवास की सुविधा हेतु, 2. पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग (मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, पारसी, वैदिष्ट) के हित में सुनिश्चित योजना, 3. उत्तरांचल में महिला उद्धार हेतु स्वावलम्बन एवं आत्मनिर्भर बनाने की योजना, 4. उत्तरांचल में बेरोज़गार युवाओं को समाहित करने, पलायन रोकने हेतु पब्लिक सैक्टर की स्थापना, 5. अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को सरकारी व प्राइवेट संस्थानों में नियुक्ति देकर बैक लॉक भरने हेतु, 6. अल्पसंख्यक आयेग के अधीन जिला स्तरीय पदों पर अल्पसंख्यकों की नियुक्ति करना, 7. वन संपदा एवं वन अधिनियम में संशोधन करके उत्तरांचल की जनता के हित में सरलीकरण,